(129)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 756/1993 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–03–1993 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 91/अपील/1991–92

.....

जगन्नाथ पुत्र गंगाधर तेली
निवासी गिदोर हाट तहसील व्यावरा
टप्पा सुठालिया जिला राजगढ़

..... आवेदक

विरूद्ध

भूरजी पुत्र गंगाधर तेली
निवासी गिदोर हाट तहसील व्यावरा
टप्पा सुठालिया जिला राजगढ़

..... अनावेदक

.....

श्री ए0के0अग्रवाल, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 24/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपालद्वारा पारित आदेश दिनांक 17–03–1993 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत उभयपक्ष के संयुक्त खाते की भूमि के

बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–12–1989 को प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–9–1991 को अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–3–1993 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 8–11–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है, अतः प्रकरण में आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधार पर ही विचार किया गया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का बिना निराकरण किये आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदक की ओर से व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था जिसके निरस्त होने पर उसके द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जो कि प्रचलित है, इसलिये भी तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है और तहसीलदार के अवैधानिक आदेश की अपीलीय न्यायालयों द्वारा पुष्टि करने में त्रुटि की गई है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में आवेदक की मुख्य आपत्ति केवल यह है कि बटवारे में कुआँ अनावेदक को दे दिया गया है । इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में यह बिन्दु उठाया ही नहीं गया है, ऐसी स्थिति में इस आपत्ति के आधार पर अधिनस्थ

न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैधानिक नहीं ठहराये जा सकते हैं । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–03–1993 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर